ए-12022/1/2016-सीसी-एमओएसपीआई

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संगणक केन्द्र

पूर्वी खंड- 10, सैक्टर-1

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: 01-03-2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न पर रोक के लिए समिति का पुनर्गठन-

ऊपर उल्लिखित विषय पर संगणक केन्द्र के दिंनाक 27.09.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए संगणक केन्द्र में शिकायत समिति के पुनर्गठन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतदद्वारा सूचित किया जाता है।

2. पुनर्गठित समिति का संघटन निम्नानुसार है:-

1.	सुश्री अंबिका आनन्द चटर्जी, निदेशक	अध्यक्ष
2.	सुश्री रश्मि शर्मा, संयुक्त निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री इंदिरा सक्सेना, सदस्य, महिला दक्षता समिति, ई-403, सुज्जन विहार, सेक्टर 43, गुरूग्राम-122009	गैर-आधिकारिक सदस्य
4.	श्री अमित कुमार, उपनिदेशक	सदस्य
5.	सुश्री हेमा रानी, एस एस ओ	सदस्य
6.	सुश्री ज्योति, एस एस ओ	सदस्य सचिव एवं संयोजक

3. समिति संगणक केन्द्र की महिला कर्मचारी की केवल लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी। 'लैंगिक उत्पीड़न' शब्द में चाहे प्रत्यक्ष या अन्यथा हो, ऐसे अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे जैसे:

क) शारीरिक संपर्क और उसका प्रयास करना

ख) यौनिक रिश्ते बनाने का प्रयास या उसकी मांग

ग) यौनिक शब्दों वाली टिप्पणी

घ) पोर्नोग्राफ दिखाना, या

ङ) अन्य कोई भी ऐसा शारीरिक, मौखिक या इशारे आदि से ऐसा अस्वीकार्य व्यवहार जो यौनिक प्रकृति का हो।

4. जहां आवश्यक हो, समिति शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने सहित एक विशेष परामर्शदाता या अन्य सहायता सेवा प्रदान करेगी और महिला कर्मचरियों द्वारा की गई शिकायतों का समयबध्द समाधान और निवारण सुनिश्चित करेगी।

5. इस संबंध में डीओपीएण्डटी के दिनांक 27.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-स्था(ए.III) द्वारा जारी उच्चतम न्यायलय के दिशा निर्देश समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए संलग्न है।

6. डीओपीएण्डटी के दिनांक 08.10.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/3/2009-स्था(ए) के अनुसार विशाख़ा केस में एपेक्स कोर्ट के निर्णयों की आवश्यकताओ के बारे में तैयारी की समीक्षा और उन्हे पूरा करने के लिए प्रत्येक तिमाही मे कम से कम एक बार बैठक करेगी भले ही कोई मामला न चल रहा हो। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए समिति के संयोजक जिम्मेदार होंगे।

7. केन्द्र में महिला कर्मचारियों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतों समिति के संयोजक के माध्यम से जाएगी ताकि ऐसी शिकायतों एवं उनके निबटान का रेकॉर्डरखा जा सके ।

राजीव आनन्द
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 26105074
ईमेल : rajeev.anand@nic.in

सेवा में:

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक (C&A),एमओएसपीआई, के एल भवन, नई दिल्ली-110001 के प्रधान निजी सचिव
2. अपर महानिदेशक, संगणक केन्द्र के प्रधान निजी सचिव
3. उपमहानिदेशक, संगणक केन्द्र के निजी सचिव
4. उपसचिव (प्रशासन एवं सतर्कता), एमओएसपीआई, के एल भवन, नई दिल्ली-110001 के वैयक्तिक सहायक।